

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ ।

परिपत्र संख्या 52 / ऋण सेल / प्र०स०-ii / ऋणसीमा / 2019-20

दिनांक- 11.11.19

समस्त प्रबंधक / वरिष्ठ प्रबंधक,
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश ।

प्रधान कार्यालय परिपत्रांक सी-51/ऋण/ऋणसीमा/15-16 दिनांक 22.09.15 के द्वारा रू० 10.00 लाख से अधिक के ऋणों को मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत किये जाने हेतु कमेटी का गठन किया गया है, के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए रू० 5.00 लाख से अधिक के ऋण प्रार्थना-पत्र प्रबन्ध समिति की संस्तुति के उपरान्त मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत करने हेतु निम्नवत् कमेटी गठित की जाती है ।

1. महाप्रबन्धक(तकनीकी)	अध्यक्ष
2. उप महाप्रबन्धक(लेखा)	सदस्य
3. सहायक महाप्रबन्धक(ऋण)	सदस्य
4. प्रबन्धक(विधि)	सदस्य
5. प्रबन्धक(ऋण)	सदस्य / संयोजक

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शाखाओं पर रू० 5.00 लाख से अधिक के ऋण प्रार्थना पत्रों में योजनानुसार आवश्यक प्रपत्रों सहित प्रबन्ध समिति से संस्तुति कराकर दो प्रतियों में बैंक मुख्यालय पर ऋण स्वीकृति हेतु भेजना सुनिश्चित करें ।




(अन्द्रा वामसी)
आई०ए०एस०

† प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमेटी के अध्यक्ष / समस्त सदस्य गण, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का० / प्रशि०केन्द्र, लखनऊ ।
4. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबंधक ।
5. निजी सचिव, (आयुक्त एवं निबंधक) सहकारिता, को आयुक्त एवं निबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
5. निजी सचिव, (सभापति) उ०प्र०स०ग्रा० विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ को सभापति महोदय के अवलोकनार्थ ।
6. समस्त सहायक आयुक्त एवं जिला सहायक निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त क्षेत्रीय उपायुक्त एवं उप निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश ।
8. प्रबन्धक(आई०टी०सेल), उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बैंक की समस्त शाखा / वरिष्ठ प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक को ई-मेल करना सुनिश्चित करें ।



† प्रबन्ध निदेशक